एकादश बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

सोमवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 1995 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में सोमवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 1995 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री देवनारायण यादव के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
दिनांक 18 दिसम्बर, 1995 ई०

लेओबाल्टर कुजुर
प्रभारी सचिव
बिहार विधान-सभा

दिनेश पाठक के विरूद्ध सत्य पाया गया और आरोप-पत्र समर्पित किया गया।

चूँकि धारा 354 भा. द. वि. जमानतीय धारा है इसलिये अनुसंधानकर्त्ता अवर निरीक्षक द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया। बाद में इसी कांड में अभियुक्त को न्यायालय के वारंट की तामिला में दिनांक 14.11.95 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और अभियुक्त कोर्ट से जमानत पर है। कांड में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

3. उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

अभियुक्तों के विरूद्ध कार्रवाई

*16. **श्री महावली सिंह** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

1. क्या यह बात सही है कि भभुआ जिलान्तर्गत चैनपुर थाना के ग्राम अरईल में दिनांक 16-11-95 को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी एवं मृतक के भतीजा का अपहरण कर लिया गया;

2. क्या यह बात सही है कि मृतक के परिवार वालों के सात व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया था पर अभी तक अभियुक्तों के विरूद्ध थाना प्रभारी द्वारा कारवाई नहीं की गयी हैं;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

श्री लालू प्रसाद : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. वस्तु स्थिति यह है कि इस कांड के वादी द्वारा किसी को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है। अपराधकर्मियों के चंगुल से अपहृत्त समीम मिया पे० मुमताज मियां के लौटने के बाद सात अपराधकर्मियों को पहचानने का दावा किया। सातों अपराध कर्मियों के गिरफ्तारी के लिये छापामारी की गयी। फिरार रहने पर दिनांक–22–11–95 को वारंट प्राप्त कर तामिला किया गया तथा कुर्की जप्ती के लिये दिनांक 4–12–95 को न्यायालय से आग्रह किया गया है। दिनांक 22–12–95 तक आदेश प्राप्त होने पर कुर्की जप्ती की कार्रवाई की जायगी। अभियुक्तों के जितने संबंधी कैमूर, जिला में है उनके यहाँ छापामारी की गयी, किन्तु अपराधकर्मी नहीं मिले।

इस छापामारी के बाद दिनांक 6–12–95 को अपहृत लड़का घर आ गया। उसके सहयोग से उनके रखने वाले स्थानों में जाकर आस पास के गाँव उदरामपुर, कल्याणीपुर, खरौदा, सलेमपुर में जाँच की गई। इस प्रकार थाना प्रभारी/अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सभी वांछित कार्रवाई की गयी है।

4. उपर्युक्त खंडों के उत्तर से स्थिति स्पष्ट होती है।

पुलिस बल का बटवाँरा

18. श्री राजो सिंह : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि –

1. क्या यह बात सही है कि नवसृजित जिला शेखपुरा एवं लखीसराय में पुराने जिला मुंगेर से पुलिस बल के बटवांरा के लिए विभाग द्वारा अभी तक कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है, फलस्वरूप अभी तक नव सृजित जिलों में उचित संख्या में पुलिस बल प्राप्त नहीं हुआ है,